

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.350 हेतु आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.050 हेतु कुल भूमि 0.400 हेतु आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर (दमालौ)

अधिशासी अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(क्षेत्री)